भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 334**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय उत्पादों में विषैले संदूषक

334. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :**

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से विभिन्न देशों द्वारा विषैले तत्वों के लिए चिह्नित किए गए भारतीय उत्पादों का ब्यौरा और सूची क्या है, और चिन्हित की गई विषाक्तता के प्रकार अथवा सुरक्षा संबंधी मुद्दे क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन चिंताओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्पाद सुरक्षा मानकों में सुधार लाने और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्यातकों को कोई सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): आयातक देश विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विभिन्न उत्पादों के अवशेषों की सीमा के संबंध में समय-समय पर विनियमों को जारी करते रहते हैं। भारत से निर्यात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों के बीच ऐसे विनियमों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जाता है।

(ख) और (ग): अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) जो वाणिज्य विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, खाद्य सुरक्षा मानकों और विभिन्न आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर संबंधित हितधारकों के लिए समय-समय पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने अधिकतम अवशेष स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूंगफली और अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं और खाद्य सुरक्षा अनुपालन की निगरानी के लिए अंगूर, मूंगफली और जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली भी विकसित की गई है। इसके अलावा, निर्यातकों को प्रमाणन संबंधी सहायता, प्रयोगशाला उन्नयन

और परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ सहायता प्रदान की जाती है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) समुद्री खाद्य प्रोसेसरों के लिए विशेष जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) प्रशिक्षण का प्रस्ताव करता है और निर्यात अस्वीकृति से संबंधित मुद्दों को समाधान करने और सुधारने के लिए विशेषज्ञ पैनलों के साथ सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान निर्यात अस्वीकृति से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया है और उन पर चर्चा की गई है। ये उपाय उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने, सुगम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करते हैं। एम्पीडा अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्रों में लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एम्पीडा के साथ पंजीकृत समुद्री खाद्य प्रोसेसरों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना का संचालन करता है। यह योजना प्रोसेसर को घरेलू गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण और रसायन और अन्य आपूर्तियों की अधिप्राप्ति में मदद करती है।

*****